तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी। श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार उप निवेशन नाचना नंबर–2 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 23(2) के तहत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को दिनांक 4–3–93 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक 18 एसकेडीए का मुरब्बा नंबर 141/15 में 25 बीघा भूमि कमांड का आवंटन किया गया। वह सद्भावी कृषक नहीं होने से उसे किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर ने निर्णय दिनांक 23–12–05 से उक्त आवंटन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी पेशे से सद्भावी कृषक है तथा उसका कोई दुकान या वाहन चालक का पेशा नहीं है। उसने आवंटन प्रार्थना पत्र में पेशा कृषि अंकित किया है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को तोडमरोड कर उसे सद्भावी कृषक नहीं मानकर गलत तरीके से उसका आवंटन निरस्त किया है। प्रार्थी के काश्तकार होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये होने से प्रार्थी का कृषक होना साबित था। प्रार्थी द्वारा आवंटित आराजी को खुदकाश्त किया जा रहा है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने भी प्रार्थी के उक्त तर्को को नकारते हुये उसका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन आदेश बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी का पेश कृषक न होकर दुकानदारी करना है। प्रार्थी का आवंटन बिना लाटरी के गलत तरीके से किया गया था। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि तहसीलदार द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के सद्भावी कृषक नहीं होकर दुकानदारी का कार्य मैसर्स इन्द्रा एण्ड क0 नाचना में स्थित फर्म के माध्यम से करने का उल्लेख किया है। जिसके संबंध में आवंटी द्वारा कोई अन्यथा अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में संलग्न फोटों प्रमाण पत्र व सबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की आज का प्राथमिक स्त्रोत दुकानदारी है जिससे अपीलकर्ता सदभावी कृषक प्रतीत नहीं होता है। उक्त आधार पर अति0 आयुक्त उपनिवेश एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपायुक्त उपनिवेशन, नाचरा–2 के निर्णय दिनांक 4–3–93 को निरस्त किया है। पत्रावली में संलग्न फोटा प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रमाण पत्र में उपनिवेनशन तहसीलदार नाचना–2 के द्वारा यह अंकन किया गया है कि आवंटी बंशीलाल सद्भावी कृषक काश्तकार नहीं है तथा आयक प्राथमिक स्त्रोंत दुकानदानी एवं व्यवसाय व्यपार है। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के उपरांत भी आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन उचित नहीं ठहराया जा सकता है तथा ऐसी दशा में अति0 आयुक्त उपनिवेशन व राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर का निर्णय विधिसम्मत् है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत् निगरानीएतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राकेश कुमार जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी /कोलो/656/ 2006/ जैसलमेर
बंशीलाल बनाम सरकार